न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 26/2016

गीता देवी वनाम राज्य

–:: आदेश ::–

11.2.18
10.2.18

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी गीता देवी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा के ज्ञापांक 977–1 दिनांक 13.12.2010 में पारित आदेश के विरूद्ध अद्योहस्ताक्षरी न्यायालय में अपील वाद 68/2010 दाखिल किया गया। जिसमें सभी संबंधित को सुनकर दिनांक 23.09.2011 को प्रस्तुत अपील खारीज किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर आयुक्त न्यायालय में पुनरीक्षण वाद 127/2011 दाखिल किया गया। आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा सुनकर दिनांक 10.11.2011 को पारित आदेश के द्वारा Remand किया गया। जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा अपील वाद 117/2011 दाखिल किया गया। सचिव समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2354 दिनांक 17.05.2013 द्वारा वाद की सुनवाई की शक्ति जिला पदाधिकारी से वापस ले ली गयी। जिसके आलोक में उक्त वाद उप निदेशक, कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा को हस्तानान्तरित किया गया। आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा निदेश के आलोक उक्त वाद को क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा को हस्तानान्तरित किया गया। क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल सहरसा द्वारा दिनांक 10.01.2014 को उभय पक्षों को सुनकर उक्त वाद प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या– 56/10.11 दिनांक 23.09.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में ऑगनबाड़ी रिभीजन वाद संख्या 127/11 दायर किया गया था वो आयुक्त कोशी प्रमंडल सहरसा दिनांक 10.11.2011 को पारित आदेश द्वारा उक्त वाद जिला पदाधिकारी न्यायालय में सुनवाई हेतु पुनः प्रेषित Remand किया गया, जिसे जिलाधिकारी सहरसा द्वारा इस न्यायालय को उनके न्यायालय से निम्न न्यायालय है से स्थानंतरित किया गया। वर्णित स्थिति में उक्त वाद इस न्यायालय में पोषणीय प्रतीत नहीं होता है, अस्तु अपील वाद को जिला पदाधिकारी सहरसा को वापस किया जाता है। जिला पदाधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2015 को समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2354 दिनांक 17.05.2013 द्वारा सुनवाई की शक्ति जिलाधिकारी से वापस ले ली गयी है। उक्त वाद सुनवाई वैधानिक नहीं होने के कारण पुनः उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमंडल –सह– क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, सहरसा को निष्पादन हेतु वापस किया गया। समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226 दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में उक्त वाद की सुनवाई की शक्ति जिला पदाधिकारी को वापस दे दी गयी, जिसके आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। महिषी प्रखंड अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र 53 (नाकूच) पंचायत सिरवार वीरवार का दिनांक 21.08.2010 को किये गए जॉच पर अपीलार्थी द्वारा दिये गए कारण पृच्छा पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अद्योहस्ताक्षरी न्यायालय में दाखिल अपील वाद संख्या– 68/10 में दिनांक 29.09.2011 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। चूँकि अपीलार्थी का यह दलील कि 25 वर्षों से केन्द्र संचालन अवधि का पता नहीं है, बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) के जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से दिनांक 21.08.2010 को 10.30 बजे केन्द्र संचालित नहीं रहने की पुष्टि होती है। यदि समय 11:30 बजे भी माना जाय तो केन्द्र पर एक भी बच्चें का उपस्थिति न होना विश्वास योगय नही हैं। अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण/दलील में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जो उनके निर्दोष होने संबंधी कथन का समर्थन करता हो।

उल्लिखित तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत अपील खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।
18.2.18
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

18.2.18
जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 400-2/ विधि, सहरसा, दिनांक–07-03-2017.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (आई०सी०डी०एस०) सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
7.3.17